भारतीय संविधान संशोधनों के प्रकार

संविधान में किए गए कुछ ऐसे संशोधन होते हैं जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से किए जाते हैं l यह संशोधन बहुत ही मामूली या कम महत्व के होते हैं परन्तु प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं l इन्हें **प्रशासनिक संशोधन** कहा जाता है l वही बात करें दूसरे प्रकार के संशोधन की **संविधान की व्याख्या से संबंधित संशोधन** होते हैं l तीसरे **राजनीतिक आम सहमति से उत्पन्न संशोधन** होते है l भारतीय संविधान में यह तीन प्रकार के संशोधन हुए है l

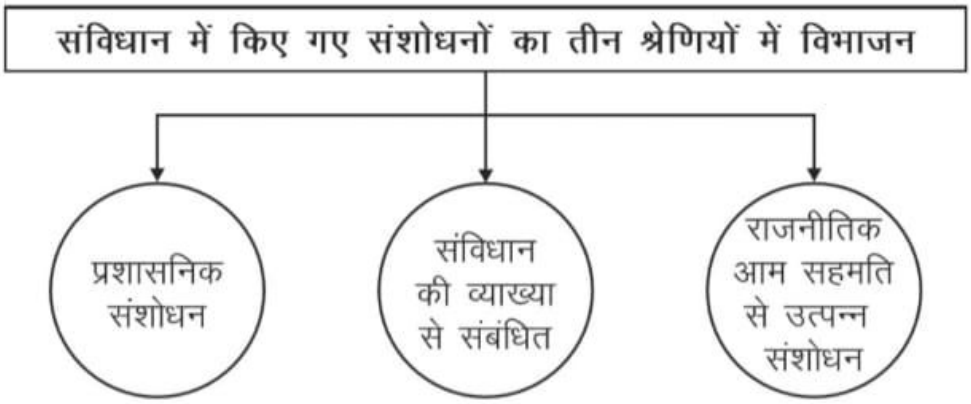

भारतीय संविधान संशोधनों के प्रकार

भारतीय संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है? दुनिया के लिए ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है ? फ्रांस जैसे लोकतान्त्रिक देश में 200 वर्षो में संविधान को 5 बार दोबारा से बनाया गया है l फ़्रांस में अंतिम संविधान 1958 में अस्तित्व में आया l निश्चित रूप से भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है l

भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया

- संविधान में संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद ही प्रारंभ कर सकती है।
- भारतीय संविधान में संशोधन की पूरी प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 368 में समझाया गया है।
- संशोधन करने का तात्पर्य यह नहीं है कि संविधान की मूल संरचना के ढांचे में परिवर्तन किया जा सके।
- संशोधनों के मामले में भारतीय संविधान लचीला और कठोर दोनों का मिश्रण है।
- 1950 से लेकर अब तक कुल 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं।
- 104वाँ संविधान संशोधन अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण की अवधि को बढ़ा कर 2030 तक कर दिया गया है।
- अनुसूचित जाति और जनजाति और एंग्लो इंडियन के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 334 में किया गया है।
- इसके लिए 126 संविधान संशोधन विधेयक पारित हुए हैं।
- 124 वां संविधान संशोधन विधेयक सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने का प्रावधान करता है।
- इस बिल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दिया गया है।
- संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार नहीं है।

संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है?

संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है?

संविधान में संशोधन करने के लिए कई प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं l भारतीय संविधान में संशोधन के तीन तरीकों का वर्णन किया गया है l

- **पहला** संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर अनुच्छेदों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संशोधन किया जा सकता है l
- **दूसरा** संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत के आधार पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लाया जाता है l यह प्रक्रिया **अनुच्छेद 368** के अनुसार होती है l
- **तीसरा** विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधी विधायकों के सहमति के साथ अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाता है l इन तीनों ही प्रक्रिया में अलग-अलग विषय आते हैं l संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है? आइये नीचे दिए गए फ्जोलो चार्ट से समझते है:

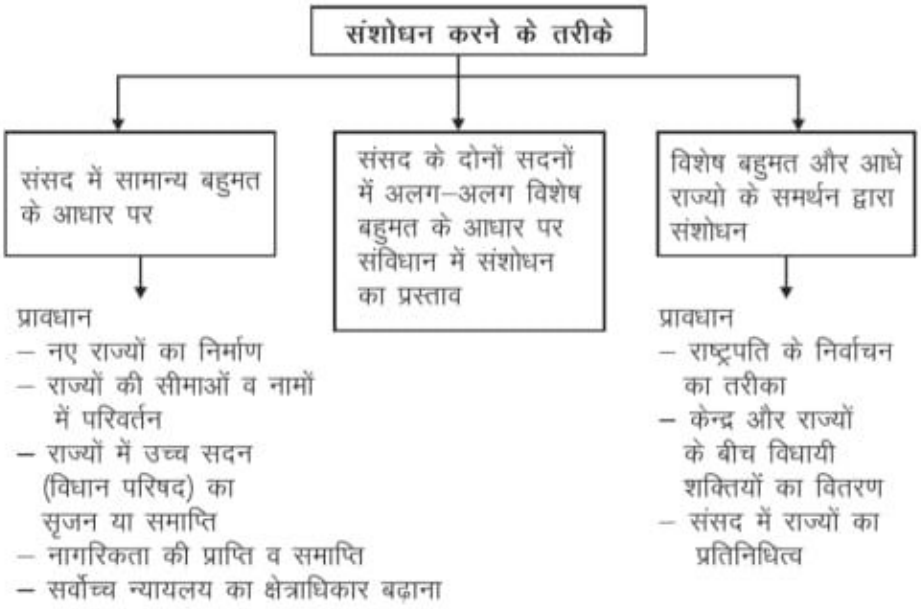

संविधान में सशोधन कैसे किया जाता है